

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143 | नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 1974/ज्येष्ठ 21, 1896

10 143 | NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 1974/JYAISTHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June 1974

G.S.R. 264(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1219, dated the 25th August, 1971 at pages 825 to 831 of the Gazette of India Extraordinary—Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 25th August, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules):—

(a) in clause (a)—

(i) in sub-clause (i), the brackets and letter “(i)” and the word “or” occurring at the end shall be omitted;

- (ii) sub-clause (ii) shall be omitted;
- (b) in clause (e), for the words "a Schedule", the words "the Schedule" shall be substituted.
3. In rule 3 of the said rules—
- (a) in sub-rule (1), for the word and figures "Schedule II", the words "The Schedule" shall be substituted;
- (b) in subrule (2), clause (f) shall be omitted and clause (g) shall be re-lettered as clause (f).
4. In the said rules, SCHEDULE 1, shall be omitted.
5. In the said rules, in SCHEDULE II, for the heading "SCHEDULE II", the heading "THE SCHEDULE" shall be substituted.

[No. 1/F. No. 602/2/70-DBK]

C. D. RANGACHARI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1974

सां० का० नि० 264(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए, सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971, में जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 1219, तारीख 25 अगस्त, 1971 में भारत के राजपत्र, समाधारण-भाग 2-खण्ड 3-उप-खण्ड (i), तारीख 25 अगस्त, 1971 के पृष्ठ 832 से 844 पर हिन्दी में प्रकाशित हुए हैं, आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) ; नियम 2 में,—

(क) खण्ड (क) में—

(i) उप-खण्ड (i) में, "(i)" कोष्ठक और अक्षर तथा अन्त में आए हुए शब्द "या" का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप-खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में—

- (क) उप नियम (1) में “अनुसूची 2” शब्द और अंक के स्थान पर “अनुसूची” शब्द रखा जाएगा ;
- (ख) उप नियम (2) में, खण्ड (च) का लोप किया जाएगा और खण्ड (छ) को खण्ड (च) के रूप में पुनराश्रित किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों में से अनुसूची I का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची 2 से “अनुसूची 2” के स्थान पर “अनुसूची” शीर्षक रखा जाएगा ।

[1/फा० सं० 602/2/70-डी० बी० के०]

सी० डी० रंगाचारी, अवर सचिव ।

